Through E-mail

अति आवश्यक

तत्काल

प्रेषक

निदेशक,
खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा,चण्डीगढ ।

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी उपायुक्त ।

यादी क्रमांक 2615-टीए-हर(7टी)2013/ 2467
दिनांक 25/3/13

विषयः- दिनांक 30.3.2013 व 31.3.2013को खजानों/उप-खजानों को खुला रखने बारे ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

2. वित्तिय वर्ष 2012-13 समाप्ति की ओर है । इस वित्तिय वर्ष के आखिरी दो दिन 30.3.2013 व 31.3.2013 को शनिवार व रविवार (राजपत्रित अवकाश) हैं । वित्तिय वर्ष के अन्तिम दिनों में कोई परेशानी न हो इसलिए राज्य के खजानों/उप-खजानों को दिनांक 30.3.2013 व 31.3.2013को खोले रखना लोक हित में अनिवार्य है । अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र में पडने वाले सरकारी लेन देन करने वाले बैंकों को 31.3.2013 को देर रात तक खोलने बारे तथा अपने क्षेत्र में पडने वाले खजानों / उप-खजानों को दिनांक 30.3.2013 व 31.3.2013को सामान्य दिनों की भांति खुला रखने बारे आदेश पारित करने का कष्ट करें । पी0एफ0आर0 वाल्यूम-1, पार्ट-I के नियम 3.40 के नीचे नोट 5 के अर्न्तगत जिला के उपायुक्तों, कलैक्टरज को शक्तियां हैं कि वह किसी भी छुट्टी वाले दिन खजानों/ उप-खजानों व संबंधित बैंकों की शाखाओं को खुला रखने के आदेश दे सकते हैं ।

संयुक्त निदेशक,
कृते निदेशक,खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा,चण्डीगढ ।

पृ0 क्र0 2615-टीए-हर(7टी)2013/ 2468 दिनांक 25/3/13

एक प्रति उपायुक्त चण्डीगढ प्रशासन, चण्डीगढ़ को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि हरियाणा सरकार का इस वित्तिय वर्ष के भुगतान के लिये अन्तिम दिन 30.3.2013 व 31.3.2013होंगे जिस कारण लोक हित में प्रबंधक,स्टेट आफ इण्डिया,ट्रैजरी ब्रान्च,सैक्टर-17 चण्डीगढ को आदेश जारी करने का कष्ट करें कि दिनांक 31.3.2012 को देर रात तक बैंक खुला रखा जाये ताकि हरियाणा खजाना चण्डीगढ़ द्वारा पास किये गये बिलों आदि का भुगतान हो सके और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो ।

संयुक्त निदेशक,
कृते निदेशक,खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा,चण्डीगढ ।

पृ0 क्र02615-टीए-हर(7टी)2013/ 2469 दिनांक 25/3/13

एक प्रति राज्य के सभी कोषाधिकारीयों को भेजते हुए निदेश दिये जाते हैं कि उक्त बारे संबंधित उपायुक्त,उप-मण्डल अधिकारी(ना0) से निजी सम्पर्क स्थापित करके बैंक खुलवाने बारे आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा अपने अधीन सभी सहायक कोषाधिकारीयों को इस बारे समय रहते अवगत करा दिया जाये ॥

संयुक्त निदेशक,
कृते निदेशक,खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा,चण्डीगढ ।

पृ0 क्र02615-टीए-हर(7टी)2013/2470 दिनांक 25/3/13

एक प्रति प्रबंधक,स्टेट आफ इण्डिया,ट्रैज़री ब्रान्च,सैक्टर-17 चण्डीगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जासती है ।

संयुक्त निदेशक,
कृते निदेशक,खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा,चण्डीगढ ।

पृ0 क्र02615-टीए-हर(7टी)2013/2471 दिनांक 25/3/13

एक प्रति पी0एस0/ प्रधान सचिव,हरियाणा सरकार,वित्त विभाग चण्डीगढ को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

संयुक्त निदेशक,
कृते निदेशक,खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा,चण्डीगढ ।